460

संख्या-822 /X-2-2014-12(63)/2006

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक: 10 मार्च, 2014

विषयः- **अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "Integrated Development of Widlife Habitat(IDWH)" के अन्तर्गत Gangotri Wildlife Sanctuary, Govind Pashu Vihar Wildlife Sanctuary, Binsar Wildlife Sanctuary, Kedarnath Wildlife Sanctuary and Mussoorie Wildlife Sanctuary हेतु पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-नि0-1232/3-6(IDWH) दि0 03 फरवरी, 2014 के साथ संलग्न भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0-13-24/2013 WL-I दि0 13 जनवरी, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित योजना "Integrated Development of Widlife Habitat(IDWH)" योजना के पूंजीगत पक्ष में भारत सरकार के पत्र में अंकित विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में एवं गत वर्षों के अव्ययित समायोजन सहित अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 16,45,000/-(₹ **सोलह लाख पैंतालिस हजार मात्र**) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार के पत्र सं0-13-24/2013 WL-I दि0 13 जनवरी, 2014 द्वारा दिये गये दिशानिर्देशानुसार व्यय किया जायेगा एवं उक्त पत्र द्वारा "Integrated Development of Widlife Habitat(IDWH)" के अन्तर्गत Gangotri Wildlife Sanctuary, Govind Pashu Vihar Wildlife Sanctuary, Binsar Wildlife Sanctuary, Kedarnath Wildlife Sanctuary and Mussoorie Wildlife Sanctuary हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार ही कार्यों का कियान्वयन किया जायेगा, साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आंगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रकिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 तथा शासनादेश संख्या 413/XXVII(1)/2013 दिनांक 10 जून 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
5. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
6. निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।
7. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
8. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
9. मानक मदों के आहरण प्रणाली के समबन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः....2

व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली हाय.

11. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
12. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
14. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1403270291 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.
15. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यो की सूचना यथाआवश्यकतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)/2011, दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाएगी और उन्हें समय समय पर अध्यावधिक किया जाएगा ।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीव परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0104-''इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेबिटैट'' में मानक मद-24 वृहद् निर्माण के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-173/(P)/XXVII(4)/2013, दिनांक 18 मार्च, 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

संलग्न : यथोपरि।

संख्या- 822 (1)/x-2-2014, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. संयुक्त निदेशक, WL-1 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0-13-24/2013 WL-1 दि0 13 जनवरी, 2014 के के क्रम सूचनार्थ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर मैसर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड शिविर कार्यालय-देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
11. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
13. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
15. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 822/X-2-2014-12(63)/2006

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1403270291

आवंटन पत्र दिनांक -19-Mar-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

110 - वन्य जीवन परिरक्षण

04 - इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाईफ हैबिटैट

02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित यो

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	1100000	1645000	2745000
	1100000	**1645000**	**2745000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1645000